नगर परिषद, चित्तौडगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHITTORGARH/FIRENOC/2025-26/64520

जारी दिनांकः 27-FEB-2026 वैधता दिनांकः 26-FEB-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः SANJAY KUMAR JOSHI

आवेदक का पताः T 21 KAILASH NAGAR 2 JKCW NIMBAHERA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **LALA KAILASHPAT SINGHANIA PUBLIC SCHOOL, 1, KAILASH NAGAR 2, KAILASH NAGAR, , CHITTORGARH, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भवन/इकाई का हर वर्ष वार्षिक निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब एवं कानूनी कार्यवाही के लिए अधिभोगी स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. भवन/इकाई के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति–ज्वलनशील पदार्थ रखना पुर्णतः प्रतिबंधित होगा।
3. भवन का अग्निामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान दिये गये दिशा–निर्देशों का पालना करना अनिवार्य होगा।
4. पानी के टैंक हर समय फुल भरे रखने होगे एंव पुरा फायर सिस्टम 24ग्7 कार्यशील स्थिति में रखना अनिवार्य होगा।
5. फायर सिस्टम को चलाने हेतु/आगजनी घटना से निपटने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित आवयकतानुसार रखने होगें।
6. फायर वाहन आसानी से आ–जा सके इसके लिए पर्याप्त मार्ग खुला व अवरोध रहित रखना होगा।
7. संस्थान के कार्मिकों को वर्ष में दो बार फायर कन्सलटेंट से प्रशिक्षिण दिलवाना अनिवार्य होगा जिसकी रिपोर्ट अग्निामन विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।
8. रोप लेडर/एक्सटेंान लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना रेस्क्यू हेतु रखना अनिवार्य होगा।
9. यह अग्निशमन प्रमाण पत्र केवल अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वैध होगा अन्य किसी भी प्रकार के साक्ष्य हेतु मान्य नहीं होगा।
10. समस्त अग्निशमन उपकरणो का निर्धारित समयावधि में रिफिल कराना एंव रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त फायर एन.ओ.सी. जारी दिनांक के बाद यदि आगजनी संबंधी कोई भी घटना घटित होती है तो अधिभोगी पर नियमानुसार शास्ति लगाकर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. आगजनी घटना के कारण किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो अधिभोगी के विरूद्ध नियमानुसार कठौरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. बैसमेन्ट में कर्मचारी/मरीज/आमजन का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।
14. उपरोक्त वार्णित समस्त शर्तो का अधिभोगी द्वारा पालना नही करने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा, जिसकी समस्त विधिक कार्यवाही के लिए अधिभोगी स्वंय जिम्मेदार होगा।
15. संस्थान/इकाई में किसी भी प्रकार की कोई भी आगजनी घटना या आग जनि घटना से कोई भी जनहानि होने पर सम्पूर्ण सूचना 24 घण्टे में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी घटना को छुपाने पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Signed by: Krishan Gopal Mali
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHITTORGARH, Rajasthan
Date: 27/02/2026 10:55:32

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौडगढ